न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 183/2017 **दायरा दिनांक : 25.10.2017**

उनवान

चम्पालाल आत्मज हरनारायण, जाति मीणा, निवासी ग्राम झरखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– पन्नालाल पुत्र रघुनाथ, जाति मीणा, निवासी ग्राम झरखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2– प्रताप बाई पुत्री रघुनाथ, जाति मीणा, निवासी ग्राम झरखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

3– भंवरलाल पुत्र मांगीलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम झरखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4– कैलाबाई पुत्री हरनारायण, जाति मीणा, निवासी ग्राम झरखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

5– गीताबाई पुत्री हरनारायण, जाति मीणा, निवासी ग्राम झरखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

6– पंसूरी बाई पुत्री हरनारायण, जाति मीणा, निवासी ग्राम झरखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

7– राजस्थान सरकार जरिये हल्करा पटवारी झरखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री विद्याशंकर गोस्वामी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री डी सी कुशवाह अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 29.01.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के प्रकरण संख्या – 78/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट बाबत विभाजन आराजी वाके ग्राम झरखेड़ी, तहसील छबडा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 312 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा का विभाजन हेतु पेश किया गया था, उक्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 का 1/2 हिस्सा निहित है । जिसमें प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपना हिस्सा भी अपने भाई के पक्ष में सरेण्डर करने का निवेदन किया गया था, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से कानून के विरूद्ध अपीलांट के हिस्से पर प्रतिवादीगण को खातेदार बिना किसी दस्तावेज व साक्ष्य के खातेदार घोषित कर दिया गया जिसकी अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, विधि एवं संचिता में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.08.3017 को उक्त प्रकरण में तनकीयात कायम की, उसके बाद वादी को साक्ष्य का मौका दिया जाना चाहिए था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने ढंग से वादी को साक्ष्य का मौका न देकर, साक्ष्य व जिरह का अवसर नहीं देकर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की

अवहेलना कर निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा किसी भी प्रकार से यह प्रमाणित नहीं किया है कि जो आराजी उनके खाते दर्ज की गई है उक्त आराजी पर उसका कब्जा है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 के पक्ष में उनके इशारे पर उक्त निर्णय व डिक्री अवैधानिक तरीके से पारित करने में भूल की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2017 अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध, साक्ष्य एवं विधि मान्य सिद्धांतों आदि एवं न्याय प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्णय पारित किया है, जो उचित है और जिसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं । अतः अपील सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा